



DHANBAD BRANCH OF CIRC
The Institute of Chartered Accountants of India

Category II- Small Branch
Monthly Activity Report
For the Month of May 2023

1. CPE Program

i. Members Seminar:

Topic: Penalties under GST & Professional Opportunities for CAs

Venue: Ekta International, SSM jalan Road Deoghar Jharkhand

Date: **06-05-2023, Time :- 11:00 AM to 2:00 PM, CPE-3**

Jointly With :- CPE Committee



ii. Members Seminar:

Topic: Audit Trail.

Venue: ICAI Bhawan, Dhanbad Jharkhand.

Date: **22-03-2023, Time :- 11:00 AM to 2:00 PM, CPE-3**

Jointly With :- PDC Committee

CIRC Chairman Visit:- **CA Kishore Hemraj Bardia**



2. Orientation Program for Students

Date:- 27/05/2023 to 13/06/2023



3. Adv.IT Program for Students

Date:- 23/05/2023 to 07/06/2023



4. E-Newsletter for the Month of May 2023

The Institute of Chartered Accountants of India
DHANBAD BRANCH OF CIRC
(Setup by an Act of Parliament)

E-Newsletter
MAY-2023

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

CELEBRATING
INTERNATIONAL
LABOUR DAY
1st MAY

WORLD NO TOBACCO DAY

"A smile is a curve that sets everything straight"

405, 4th Floor, New Market, Bank More, Dhanbad - 826001, Jharkhand.
Phone: 0326 - 2306336
E-mail: dhanbad@icai.org, Ph: 9852176644

अब हर कंपनी को ऑडिट ट्रायल रखना अनिवार्य



वेकमोह आईएसआई धनबाद में आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित सीए व अन्य।

धनबाद। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की धनबाद शाखा ने अपने सीए सदस्यों के लिए संगोष्ठी का आयोजन आईसीएआई धनबाद न्यू मार्केट बैंक भोंडू में किया। ऑडिट ट्रायल मुद्दे पर हुई संगोष्ठी के मुख्य वक्ता धनबाद के सीए सनी कटेसरिया थे। उन्होंने कहा कि हर कंपनी को ऑडिट ट्रायल रखना जरूरी है। ऑडिट ट्रायल होने से कोई भी फेरबदल होने की जानकारी ऑडिटर को लग जाएगी। यह नियम एक अप्रैल से सभी कंपनियों में लागू हो गया है। यह नहीं रहने पर 5 लाख तक की पेनल्टी कंपनी पर लग सकती है। हकी भी कंपनी के अकाउंट में गड़बड़ी पाने पर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह उल्लेख करेगा। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और आईसीएआई आदर्श वाक्य गीत से की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आईसीएआई धनबाद शाखा सचिव सीए शुभम खंडेलवाल ने किया। मुख्य अतिथि सीए किशोर हेमराज बादिंया को शाल गीता पुस्तक और उपहार देकर सम्मानित किया गया। सनी कटेसरिया को गीता पुस्तक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लगभग 30 सीए सदस्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। मौके पर शाखा अध्यक्ष सीए सोरव अग्रवाल, सीए संदीप पंवार, जया अग्रवाल, अचना अग्रवाल और निशा अग्रवाल, ज्योति अग्रवाल उपस्थित थे। यह जानकारी जनसंपर्क अधिकारी वर्षा तुलस्थान और सुनीता अग्रवाल ने दी।

- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सेमिनार
- एक अप्रैल से सभी कंपनियों के लिए नियम लागू

प्रधान सचिव
दिनांक 7/05/23

आईसीएआई शाखा में ऑडिट ट्रायल पर कार्यशाला



धनबाद। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की धनबाद शाखा में रविवार को ऑडिट ट्रायल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि आईसीएआई के चेयरमैन सीए किशोर हेमराज बादिंया ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। मुख्य वक्ता सीए सनी कटेसरिया ने अपने संबोधन में कहा कि हर कंपनी को ऑडिट ट्रायल रखना जरूरी है। ऑडिट ट्रायल के रहने से इसमें होने वाले हर बदलाव को जानकारी ऑडिटर को मिल जायेगी। वहीं इसके नहीं रहने से कंपनी को पांच लाख रुपये की पेनाल्टी लग लगेगी। इसलिए यह जरूरी है कि कंपनी के अकाउंट में गड़बड़ी मिलने पर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह उल्लेख करेगा। वहीं कंपनी एक्ट 2013 के तहत प्रॉड केस के सेक्शन 143 (12) का पालन करते हुए सरकार को भी इसकी जानकारी देगा। कार्यशाला में करीब 30 सीए सदस्यों ने भाग लिया। मौके पर शाखा अध्यक्ष सीए सोरव अग्रवाल, सीईसीएएसए चेयरमैन सीए संदीप पंवार उपस्थित थे।

आईसीएआई धनबाद शाखा में 'ऑडिट ट्रायल' पर संगोष्ठी हर कंपनी को ऑडिट ट्रायल रखना जरूरी : कटेसरिया



आवाज प्रतिनिधि

धनबाद। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की धनबाद शाखा ने अपने सीए सदस्यों के लिए आधे दिन की संगोष्ठी का आयोजन आईसीएआई धनबाद न्यू मार्केट बैंक भोंडू, धनबाद में ऑडिट ट्रायल पर किया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता धनबाद के सीए सनी कटेसरिया थे। उन्होंने कहा कि हर कंपनी को ऑडिट ट्रायल रखना जरूरी है। ऑडिट ट्रायल होने से इसमें होने वाले हर बदलाव को जानकारी ऑडिटर को मिल जायेगी। वहीं इसके नहीं रहने से कंपनी को पांच लाख रुपये की पेनाल्टी लग लगेगी। इसलिए यह जरूरी है कि कंपनी के अकाउंट में गड़बड़ी मिलने पर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह उल्लेख करेगा। वहीं कंपनी एक्ट 2013 के तहत प्रॉड केस के सेक्शन 143 (12) का पालन करते हुए सरकार को भी इसकी जानकारी देगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की प्रबन्ध समिति और वरिष्ठ सीए सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आईसीएआई धनबाद शाखा सचिव सीए शुभम खंडेलवाल ने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य सीए सदस्यों को ऑडिट ट्रायल पर प्रकाश देना और उन्हें इस मुद्दे पर जागरूक बनाना है। संगोष्ठी में सीए सनी कटेसरिया ने कहा कि हर कंपनी को ऑडिट ट्रायल रखना जरूरी है। ऑडिट ट्रायल होने से इसमें होने वाले हर बदलाव को जानकारी ऑडिटर को मिल जायेगी। वहीं इसके नहीं रहने से कंपनी को पांच लाख रुपये की पेनाल्टी लग लगेगी। इसलिए यह जरूरी है कि कंपनी के अकाउंट में गड़बड़ी मिलने पर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यह उल्लेख करेगा। वहीं कंपनी एक्ट 2013 के तहत प्रॉड केस के सेक्शन 143 (12) का पालन करते हुए सरकार को भी इसकी जानकारी देगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की प्रबन्ध समिति और वरिष्ठ सीए सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा।